International Journal of Research in Economics and Social Sciences (IJRESS)
Available online at http://euroasiapub.org/journals.php
Vol. 6 Issue 8, August 2016,
ISSN(O): 2249-7382, | Impact Factor: 6.225 | Thomson Reuters ID: L-5236-2015

नारी सशक्तीकरण एवं उनके कानूनी अधिकार

डॉ. स्मिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर,
स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, एच.डी. जैन कॉलेज, आरा

कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं,
तुझमें शोले भी हैं बस अश्कफिशानी ही नहीं,
तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं,
तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं,
अपनी तारिख का उनवान बदलना है तुझे,
उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे।

मशहूर शायर कैफी आजमी जी की इन चंद लाइनों में औरत के अस्तित्व की क्या खूब कहानी है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति को नापने का बैरोमीटर है वहाँ के स्त्रियों की स्थिति। ऐसा माना जाता है कि जिस राष्ट्र की महिलाएँ खुश हैं, संपन्न एवं शिक्षित हैं, वहाँ के कार्यक्षेत्र में बढ़–चढ़कर हिस्सा ले रही हैं तो समझिए वह राष्ट्र संपन्न है और उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः

अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। यहाँ नारी को देवी के रूप में देखा गया है। भारत में स्त्रियों की दशा सदैव एक जैसी नहीं रही अपितु समय और काल के साथ परिवर्तन आते गये। किसी युग में नारी को सम्मान दिया गया तो कहीं उसका अपमान, उत्पीड़न, अत्याचार और जुल्म ढाने की सारी हदें पार कर दी गईं।

वैदिक काल में नारी की स्थिति काफी मजबूत और प्रतिष्ठापूर्ण थी। लेकिन धीरे–धीरे उसकी स्थितियों में बदलाव होने लगा। वक्त की आँधी ने महिला की स्थिति कमजोर व बेबसीपूर्ण स्थिति में पहुँचा दी। वैदिक काल में पुरुषों की सभा में शास्त्रार्थ करने वाली महिला बाद के कालखंड में घर की चहारदीवारी के बीच कैद रहने वाली और पुरुष के पैर की जूती तक बना दी गई।

वैदिक समाज में महिलाओं को पर्याप्त स्वतंत्रता थी, वे अपना सुयोग्य साथ स्वयं चुनती थीं। लेकिन बाद क दौर में नारी का विवाह कम उम्र में होने लगा। माना जाता है कि वैदिक युग में महिलाओं का स्थान सम्माननीय था। मध्यकाल में उसकी स्थिति दयनीय हो गई, जबकि आधुनिक काल में महिलाएँ अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जूझ रही हैं। अपने हिस्से का आसमां लेने के लिए प्रयासरत हैं। अपने हाथों ही एक लंबी लाइन खींचने की तैयारी में हैं। प्राचीन काल में विधवाओं की स्थिति दयनीय नहीं थी। सती–प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। बाद के समय में विधवा–विवाह को कुछ जातियों ने समर्थन नहीं किया जबकि विधुर के पुनर्विवाह को अपनाया गया ताकि पत्नी के देहांत के बाद पति को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। समाज ने पुरुष के सुख की संपूर्ण व्यवस्था की जबकि महिला को सदैव तिरस्कृत समझा गया। पति की मृत्यु के बाद उस स्थान का महिमामंडन कर आय के नए जरिए खोजे गए।

'स्त्री पैदा नहीं होती, बना दी जाती है'–सीमोन द बोउआर की यह पंक्ति आधी आबादी का कड़वा सच बयान करती है। बच्ची जब जन्म लेती है तो वह भी बाकी सारे जीवों की तरह होती है। एक इंसान के तौर पर ही पैदा होती है, मगर बड़े होने के साथ–साथ उसे अहसास कराया जाने लगता है कि चूंकि वह एक लड़की है, इसलिए उसे सीमा–रेखा में रहना होगा। उस परिधि के बाहर की दुनिया उसके लिए वर्जित होती है। उसे समाज द्वारा बनाई गई आदर्श स्त्री की परिभाषा में खुद को ढालना होता है। मगर वह आदर्श स्त्री है कौन? कैसी है उसकी छवि? क्या वह बीते जमाने की लजाई, सकुचाई, शरमाई–सी नारी है, जिसके बारे में कवि ने "आँचल में है दूध और आँखों में पानी' वाली कविता लिखी या फिर वह आज की आत्मनिर्भर स्त्री है? कौन है

वह? खुद अपने बारे में क्या सोचती है वह? क्या वह अपनी परिभाषा खुद गढ़ रही है और क्या उसकी नई छवि समाज में मान्य हो सकेगी? ये सारे सवाल आज की स्त्री को मथते रहते हैं।

हमारी भारतीय संस्कृति ने सदैव ही नारी जाति को पूजनीय एवं वंदनीय माना है। नारी का रूप चाहे माँ के रूप में हो, बहन हो, बेटी हो अथवा पत्नी के रूप में हो। नारी–सम्मान की बात आदिकाल से हो हमारे पौराणिक गाथाओं में विद्यमान रही है। हमें यह भी ज्ञात है कि नारी प्रेम, स्नेह, करुणा एवं मातृत्व की प्रतिमूर्ति है। जिस प्रकार कोई भी पक्षी एक पंख के सहारे उड़ नहीं सकता, उसी प्रकार नारी के बिना पुरुष की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

परन्तु 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'–स्कूली कक्षाओं में पढ़ाया जाने वाला यह सुभाषित सिर्फ प्रतीक रूप में ही अस्तित्व में रहा है। नारीवाद के तमाम कलरव और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, खासकर राजनीति में, इक्का–दुक्का महिलाओं की कामयाबी की कथाओं के बावजूद स्त्री महज प्रतिमा रूप मे ही पूजी जाती रही, पुरुषों के आधिपत्य वाली दुनिया में जीती–जागती नारी को आधी से भी कम जगह मयस्सर होती रही।

महिलाएँ समाज में अनेक कुरीतियों एवं कुप्रथाओं का शिकार होती रही हैं, जिनमें हैं–कन्या–वध, भ्रूण हत्या, सती प्रथा, जौहर, डाकण प्रथा, क्रय–विक्रय, वेश्यावृत्ति, दास प्रथा, बाल विवाह इत्यादि। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सपेरा नृथ्य की पहचान बनाने वाली कालबेलिया समाज की गुलाबो, जिसे कि समाज की नवजात लड़कियों को जिंदा दफनाने को 'कन्याधर्म' मानने की कुप्रथा का शिकार होना पड़ा, को जन्म के एक घंटे बाद हो जमीन में दफना दिया था परन्तु उसकी मौसी ने गुलाबो को जमीन से निकालकर पाला और उसी गुलाबों ने आज दुनिया में अपनी प्रतिभा के बल पर महिलाओं व समाज का मान बढ़ाकर नेतृत्व प्रदान किया है।

भारत में आज भी सामाजिक ताना–बाना ऐसा है जिसमें अधिकांश महिलाए पिता या पति पर ही आर्थिक रूप से निर्भर करती हैं तथा निर्णय लेने के लिए भी परिवार में पुरुषों पर निर्भर रहती हैं। महिलाओं को न तो घर के मामलों की निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाता है और न ही बाहर के मामलों में। विवाह के पूर्व वे पिता व विवाह क बाद पति के अधीन रहते हुए जीवनयापन करती हैं। हालांकि देश के संविधान में महिलाओं को सदियों से पुरानी दासता एवं गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाने के प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 37, 39 (बी), 44 तथा अनच्छेद 325 स्त्री को भी पुरुषों के समान अधिकारों की पुष्टि करते हैं।

परन्तु सदियों से भारतीय जनमानस में बसी हुई भारतीय नारी की छवि को बदलते वक्त की स्त्री ने कुछ तो बदला है। आज स्त्री ने कड़े संघर्षों के बाद विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाया है। कई बार भ्रम की स्थिति भी उपस्थित हो गई है। क्योंकि, एक ओर थे पुराने मूल्य और स्त्री की गुड़िया सरीखी घरेलू भारतीय संस्कृति को प्रतिबिंबित करती गरिमामय छवि तो दूसरी ओर आधुनिक विचार, शिक्षा और बाहर की दुनिया। एक ओर वह पुराने मूल्यों के साथ जीती प्रतीत होती है तो दूसरी ओर वह बिल्कुल आजाद नजर आती है। परन्तु हालात से जूझती हुई वह अपनी पारंपरिक छवि से अलग होती गई है और अपनी नई पहचान बनाने के लिए प्रयत्नशील है।

स्त्री की दुनिया आज सचमुच बहत बदल गई है। पुराने समय की नाजुक–सी घूँघट वाली छवि कुछ टूट रही है, नए दौर की आत्मविश्वास से युक्त नई स्त्री हमारे सामने है।

बदलता युग पुरानी मान्यताओं को भुलाकर नई मान्यताओं–मूल्यों–आदर्शों को अंगीकार करता है। मगर कुछ जिद्दी मान्यताएँ ऐसी भी होती ह जो बहुत कुछ बदलने के बावजूद बदलना नहीं चाहतीं या हम अपनी सुविधाओं के लिए उन्हें बदलना नहीं चाहते।

उस हालात में रातों–रात किसी आमूल बदलाव की कल्पना करना हालांकि अब भी किसी मिथक से कम नहीं, लेकिन धीरे–धीरे खामोशी से औरतों की दुनिया में एक ठास बदलाव आकार ले रहा है, जिसकी अनदेखी बहुत दिनों तक शायद नहीं की जा सकेगी। और यह ऐसे समय हो रहा है जब मॉल संस्कृति में पनप रहा सौंदर्य–बाजार अश्लील साहित्य और स्पाईकैम महिलाओं के जीवन में दर्द, अपराध–बोध और शर्म उड़ेलने में कोई कसर नहीं छोड रहे हैं। नारी को नुमाईश और भोग की वस्तु के बतौर चित्रित करने का उपक्रम इतनी आक्रामकता से कभी नहीं चला था। लेकिन उस झंझावात में भी भारतीय नारी गर्व और स्वाभिमान से उठ खड़े

होने की क्षमता दिखा रही है। क्रिया की प्रतिक्रिया उससे भी अधिक तेजी से हो रहो है। हर महिला के, चाहे वह चतुर हो या गँवई, भोली आज्ञाकारी हो या साजिश रचने वाली, युवा हो या बूढ़ी, खुशमिजाज हो या दुःखी रहने वाली कामकाजू हो या घरेलू–अभिव्यक्ति की चाहत सबके अधरों पर है।

जीवन के अलग–अलग क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं की स्थिति, उनकी मुश्किलों, पुरुषों का एकाधिकार माने जाने वाले क्षेत्रों में उनकी असाधारण उपलब्धियों और खुद के दम पर अपनी अलग पहचान बनाने वाली नामचीन महिलाओं पर अगर एक विहंगम दृष्टि डालें तो पता चलता है कि नारी अपने शरीर को अपनी नियति पर हावी होने से किस शिद्दत से रोक रही है। महिलाओं का अपना मुकाम बनाने की जद्दोजहद और सामंजस्यपूर्ण स्वायत्तता की चाहत वाला यह नया नारीवाद भले आटे में नमक बराबर मालूम पड़े, लेकिन यह महत्त्वपूर्ण है।

इतिहास में हमेशा हाशिए में खड़ी की जाती रही स्त्री सीता की तरह हमेशा भविष्य के गर्भ में समाती रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। समय बदलने के साथ समाज में भी बदलाव आया और उसके साथ ही बदली समाज में महिलाओं की भूमिका भी। बोर्डरूम से कोर्टरूम और परदे से लेकर समाज के हर क्षेत्र में उसका दबदबा है। कगार से उठकर वह केंद्र में अपनी भ्मिका निभा रही है। वे कारोबार खड़ा करने से लेकर आंदोलन तक संगठित कर रही है।

वैश्वीकरण के इस दौर में महिलाएँ आज आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए वे हर मुमकिन कोशिश भी कर रही हैं। काफी हद तक उन्हें सफलता भी मिली है। पर क्या, वास्तव में महिलाओं को उनका मुकाम हासिल हुआ है? घर की दहलीज पार करके वह पुरुषों की बराबरी करने के लिए कंधे–से–कंधा मिलाकर काम कर रही है। उसने उन क्षेत्रों में भी अपनी छाप छोड़ी है, जहाँ पहले सिर्फ पुरुषों का ही वर्चस्व था। राजनीति के दाव–पेंच हों या व्यापार जगत या फिर खेल का मैदान, महिलाओं ने आज हर क्षेत्र में अपनी जगह बना ली है। यही वजह है कि समय–समय पर महिला सशक्तीकरण का मुद्दा भी सामने आता रहता है। लेकिन बहस और चर्चाओं के दौर में यह विषय एक बार फिर ज्वलंत हो उठा है। हमारे सामने कई सवाल बड़े आकार में आ खड़े हुए हैं और मेरे अंदर का इंसान सोचने पर मजबूर है।

आखिर ये महिला सशक्तीकरण है क्या–आर्थिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता या निर्णय लेने की स्वतंत्रता?

सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि सशक्तीकरण क्या है? सशक्तीकरण का तात्पर्य है–शक्तिशाली बनाना। सशक्तीकरण को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक असमानताओं से पैदा हुई समस्याओं एवं रिक्तताओं से निपटने के रूप में देखा जा सकता है। इसमें जागरूकता, अधिकार एवं हकों को जानने, सहभागिता, निर्णयन जैसे घटकों को लिया जाता है।

अब हम महिला सशक्तीकरण को पैलिनी थराई के शब्दों में देखते हैं–महिला सशक्तीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के विकास की प्रक्रिया में राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा महिलाओं को पुरुषों के बराबर मान्यता दी जाती है।

लीला मीहेनडल के अनुसार महिला सशक्तीकरण–निडरता, सम्मान और जागरूकता–तीनों शब्द महिला सशक्तीकरण में सहायक हैं। यदि डर से आजादी महिला सशक्तीकरण का पहला कदम है तो तेजी से न्याय से उसकी आवश्यकता पूरी हो सकेगी। यदि महिलाओं को वास्तव में न्याय दिलाना है तो उनकी जाँच–परख प्रणाली को और अधिक कार्यकुशल बनाना होगा तथा अराजकता फैलाने वाले तत्त्वों को सजा देनी होगी।

आए दिन अखबार के पन्नों और तमाम न्यूज चैनलों पर महिलाओं के साथ अत्याचार और भेदभाव की खबरें सुर्खियों में रहती हैं। हमें यह सोचने पर मजबूर भी करती हैं, क्या महिलाओं को सचमुच उनका अधिकार मिला है? क्या वास्तव में वो निडर होकर जीने की कल्पना कर सकती है? क्या आज भी वह कदम–कदम पर असुरक्षा की भावना लिए हुए नहीं जी रही है? कि, न जाने अगले पल वह कहाँ और कैसी परिस्थिति में हो? वह अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त क्यों नहीं हो पायी है? ये डर आदमी और औरत में बराबर है। बेटियाँ और बहुएँ तो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। आज भी दहेज–हत्या, यौन–उत्पीड़न, बलात्कार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। और जो इन वारदातों को अंजाम देते हैं वे और भी ज्यादा सहमे हुए हैं। इस घटना के घातक परिणामों से वाकिफ होने की वजह से वे भ्रूण–हत्या, बाल–विवाह के रास्ते पर ही चल देते है।। ये डर जितना फैल रहा है, समस्या उतनी ही गंभीर होती जा रही है। इस पर अब तक लगाम नहीं कसी जा सकी है और न ही कोई सोच

कायम हुई है। फिर हम आखिर किस महिला सशक्तीकरण की बातें करते हैं? किस आधार पर यह दावा करते हैं कि आधी आबादी को उनका हक मिल गया है?

महिलाओं के लिए डॉ. वी. आर. अम्बेदकर का कथन है कि भारतीय नारी श्रम से नहीं घबराती, किन्तु आँसुओं की चिंता करते हुए वह रोटी, असमान व्यवहार, शोषण से अवश्य डरती है। इसमें बाबा साहेब ने महिलाओं की वास्तविक वेदना को मुखरित किया है। महिला सशक्तीकरण की अवधारणा बहुआयामी है। यह कोई पुरुष निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष विमर्श है और इसके लिए पुरुषों को भी आगे आना होगा।

भारतीय महिलाओं का सही मायनों में सशक्तीकरण आर्थिक, दैहिक, मानसिक स्वतंत्रता (निर्णय लेने की स्वतंत्रता) के साथ आत्मिक स्वतंत्रता से सीधे संबद्ध है क्योंकि इन्हीं सब स्तरों पर उसे समाज द्वारा स्वतंत्र इंसान का दर्जा दिए जाने में पिछली कुछ सदियों से जाने–अनजाने कोताही की जाती रही है कि आम भारतीय महिला के जेहन में यह बात आती ही नहीं कि उपरोक्त स्वतंत्रताएँ उसके भारतीय नागरिक होने के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।

महिलाओं के सामाजिक सशक्तीकरण में शिक्षा की अहम भूमिका है। यह महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम एवं मूलभूत साधन है क्योंकि महिला के शिक्षित हाने पर जागरूकता, चेतना आएगी, अधिकारों की सजगता होगी, रूढ़ियाँ, कुरीतियाँ, कुप्रथाओं का अँधेरा छँटेगा और वैचारिक क्रांति का प्रकाश–पुंज फूट निकलेगा। शिक्षा के माध्यम से महिलाएँ समाज में सशक्त, समान एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका दर्ज करा सकती हैं। शिक्षित महिलाएँ न केवल स्वयं आत्मनिर्भर एवं लाभान्वित होती हैं अपितु भावी पीढ़ियाँ भी लाभान्वित होती हैं। शिक्षा एक ऐसी सम्पत्ति है जिसे न छीना जा सकता है और न ही बाँटा जा सकता है। दूसरी ओर ऐसा हथियार भी है जिसके बल पर कोई भी युद्ध लड़ा जा सकता है, अब चाहे वह शोषण, असमानता, अन्याय, अनाचार के विरुद्ध ही क्यों न हो?

महिलाओं की स्थिति में सुधार के समय–समय पर अनेक प्रयास किसी–न– किसी रूप में होते रहे हैं। भक्तिकाल में नारियों को पुरुषों के समान भक्ति के योग्य माना, जिसके फलस्वरूप अनेक महिला संतों ने विशेष स्थान बनाया जिनमें प्रमुख हैं–मीराबाई, मुक्ताबाई, केसमाबाई, गंगबाई और जानी। अकबर ने बाल–विवाह, बेमेल–विवाह, सती–प्रथा को रोकने की दिशा में कार्य किया। राजा जयमल की विधवा को अकबर ने सती होने से रोका था तथा पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने अपनी आलमदारी म इस प्रथा के विरुद्ध आदेश प्रसारित करवाए। महिलाओं की दशा को सुधारने में अनेक समाज–सुधारकों ने महती भूमिका निभाई। जिनमें प्रमुख थे–राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, वीर सार्लिंगम, दयानन्द सरस्वती, महादेव गोविन्द रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फूले, केशवकवे, बहरामजी मालाबरी, गोपालकृष्ण आगरकर, हरि देशमुख इत्यादि। महिला समाज–सुधारकों में पंडित रमाबाई, रमाबाई रानाडे, स्वर्ण कुमारी देवी, रानी स्वर्णमयी, सावित्रीबाई फूले, आनन्दीबाई जोशी ने अपना योगदान दिया।

राजा राममोहन राय और स्वामी दयानन्द सरस्वती को अगर महिला सशक्तीकरण का प्रणेता, पथ–प्रदर्शक और युग–प्रवर्तक कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की स्वतंत्रता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई उनमें हैं–राजकुमारी अमृत कौर, गन्नो देवी, मीरा बेन, सुचेता कृपलानी, कमला देवी चटोपाध्याय, सरोज दास नगा, सुशीला, जमुनाबाई, दुर्गाबाई देशमुख, कस्तूरबा गाँधी, बेगम हजरत महल, शान्ति घोष, सरोजिनी नायडू, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मीबाई, अरुणा आसफ अली, भीकाजी कामा, रानी चैन्नईया, दुर्गा देवी वोहरा, प्रीतिदत्त पोद्दार, भीमाबाई, इंदुमति सिंह, रानी अवन्तिबाई, रानी ईश्वरी कुमारी, मीरा पन्ना, रेशू बेन, कुमारी मैना, लाडो रानी, कल्याणी दास, शोभा रानी आदि। और भी न जाने कितनी ही जुझारू स्त्रियाँ हैं जिनका नाम नहीं जाना गया पर वे थीं।

शिक्षा संपूर्ण अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके विकास और उन्नति का मार्ग खोलती है। ताजा जनगणना के अनुसार भारतीय महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति काफी चिंताजनक है। वैश्विक परिदृश्य पर एक नजर डालें तो यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर मात्र 65. 46 प्रतिशत बनी हुई है।

भारत में लिंगानुपात की स्थिति भी अच्छी नहीं कही जा सकती क्योंकि अगर हम विभिन्न देशों के लिंगानुपात पर दृष्टि डालें और विचार करें तो कुछ प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं कि ऐसे क्या कारण हैं कि रूस में 1000 पुरुषों पर 1140 स्त्रियाँ हैं अथवा नेपाल, जापान एवं फ्रांस में लिंगानुपात 1041 क्यों है। अमेरिका में 1029, ब्राजील में 1025, वियतनाम में 1020, नाइजीरिया में 1016, इजराइल में 1000 लिंगानुपात क्यों है? चीन में 944 और भारत में 940 है जबकि वैश्विक औसत लिंगानुपात 990 है। हमें उन सभी कारणों, घटकों और नियोजन पर गहन चिंतन करना होगा जिनसे उक्त प्रश्नों का उत्तर खोजा जा सके और भारत में लिंगानुपात की दयनीय स्थिति को बेहतर बनाया जा सके।

महिलाओं के लिए नियम–कायदे और कानून तो खूब बना दिये हैं किन्तु उन पर हिंसा और अत्याचार के आँकड़ों में अभी तक कोई कमी नहीं आई है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 49 वर्ष की 70 फीसदी महिलाएँ किसी–न–किसी रूप में कभी–न–कभी हिंसा का शिकार होती हैं। इनमें कामकाजी व गृहणियाँ भी शामिल हैं। देश भर में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के लगभग 1.5 लाख मामले सालाना दर्ज किये जाते हैं जबकि इसके कई गुणा दबकर ही रह जाते हैं। विवाहित महिलाओं के विरुद्ध की जाने वाली हिंसा के मामले में बिहार सबसे आगे है, जहाँ 59 प्रतिशत महिलाएँ घरेलू हिंसा का शिकार हुई, उनमें 63 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों की थीं। दूसरे नंबर पर राजस्थान 46.3 प्रतिशत एवं तीसरे स्थान पर मध्यप्रदेश 45. 8 प्रतिशत है।

हालांकि भारतीय संविधान ने नारी को पुरुष के समकक्ष माना है। सरकार की ओर से समाज में व्याप्त कुरीतियों मसलन दहेज–प्रथा का विरोध, भ्रूण–हत्या पर प्रतिबंध, लिंग परीक्षण पर पाबंदी के प्रयासों का भारतीय समाज में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि ये कुरीतियाँ ज्यादा फैल रही हैं। वर्तमान में महिलाओं को यह समझना होगा कि आज समाज में उनकी दयनीय स्थिति भगवान की देन न होकर समाज में चली आ रही परंपराओं का परिणाम है। इस स्थिति को बदलने का बीड़ा महिलाओं को स्वयं उठाना होगा। जब तक वह खुद अपने सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार नहीं करेगी, तब तक समाज में उनका स्थान द्वितीय श्रेणी के नागरिक का ही बना रहेगा। महात्मा गाँधी ने कहा था–"स्त्री तो पुरुष की सहचरी है, उसे पुरुष के समान ही मानसिक क्षमताएँ प्राप्त हैं। उसे पुरुष की गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है और पुरुष के समान ही स्वतंत्र और स्वाधीनता का अधिकार प्राप्त है। पुरुष और स्त्री का दर्जा बराबर है, लेकिन एक जैसा नहीं है। वे एक अनुपम युगल हैं और एक–दूसरे के पूरक हैं। उनमें से प्रत्येक एक–दूसरे की सहायता करते हैं, इस प्रकार एक के बिना दूसरे के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती।"

महिला सशक्तीकरण वर्ष 2001 के बाद महिलाओं में जबरदस्त जागृति आई लेकिन अभी भी सामंतशाही के अवशेष भारतीय समाज में दिखाई देते हैं। आज भी कई परिवारों में लड़की के जन्म लेने के साथ ही उसके मुँह में तम्बाकू भरकर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। ग्वालियर में अपनी नवजात बेटी के मुँह में तम्बाकू भरकर उसे मौत के घाट उतार देने का मामला हाल में ही सामने आया है। ग्वालियर के उपनगर मुरार क्षेत्र निवासी नरेन्द्र सिंह राणा पर उसकी नवजात पुत्री की हत्या का आरोप है। नरेन्द्र की पत्नी अनीता ने एक स्वस्थ बालिका को जन्म दिया। अगले दिन उसके पिता ने जिद कर पुत्री को अपने पास सुलाया और वह सुबह मृत अवस्था में मिली। पोस्टमार्टम में मृत्यु के कारणों का खुलासा नहीं होने पर बिसरा जाँच के लिए सागर स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया। जहाँ स्पष्ट हुआ कि बालिका की मौत निकोटिन (तम्बाकू) के कारण हुई है।

घटना से पता चलता है कि 21वीं सदी के दूसरे दशक में प्रवेश करने के बाद भी लोग 15–16वीं सदी में जीवन गुजार रहे हैं। इस प्रकार की कितनी ही घटनाएँ हैं जिनसे समाज की रुग्ण मानसिकता का पता चलता है। विभिन्न घटनाओं व समस्याओं ने महिलाओं को दयनीय व हीन अवस्था में पहुँचा दिया है। पर्दा–प्रथा के कारण महिला घर में बंदी बना दी गई। दहेज–प्रथा ने पुत्री के जन्म को ही अभिशाप बना दिया। बाल–विवाह ने विधवा समस्या व वेश्यावृत्ति को जन्म दिया। समाज में कुप्रथाओं के बढ़ने से महिला की स्थिति अधिक जटिल और संकट में घिर गई। भारत में आजादी के बाद महिला पुरुष की समानता को कानूनी आधार प्रदान किया

गया। अनिवार्य शिक्षा, हिन्दू मैरिज एक्ट, दहेज निषेध कानून, सती निषेध, समान कार्य समान वेतन आदि कानूनों द्वारा महिला विकास के सकारात्मक कदम उठाए गए।

लेकिन यह भी सच है कि कानून द्वारा सामाजिक सुधार संभव नहीं है। सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है जनमानस में परिवर्तन, महिला पुरुष की दृष्टि में प्रगतिशील सुधार। आज आर्थिक सशक्तीकरण के समस्त प्रयासों के बावजूद वास्तविकता यह है कि कुछ शिक्षित व जागरूक महिलाएँ ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रही हैं, जबकि अशिक्षित एवं निम्न वर्ग की महिलाओं की स्थिति ज्यों की त्यों है। समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है, इस पर चिंतन किए जाने की आवश्यकता है। दुनिया भर के नारी मुक्ति आंदोलनों की गूँज और समता, समानता, आजादी जैसे छलावे भरे खूबसूरत नारे, भारत में तमाम महिला संगठनों की सक्रियता व प्रगतिशील कोशिश के बावजूद पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। आज भ्रूण हत्याएँ, गर्भ परीक्षण की दूकान पर जन्म से पूर्व ही खात्मे की कोशिश, बाल–विवाह, दहेज, मृत्यु भोज, पर्दा प्रथा, बलात्कार, यौन हिंसा, अत्याचार, शोषण, बेटी को उच्च शिक्षा का अभाव भारतीय समाज में विद्यमान है। इसी तरह विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने की प्रक्रिया जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर पुरुष के समान महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं है।

अंत में कहा जा सकता है कि नारी को अपने अधिकारों एवं समाज में सम्मान पाने के लिए उस स्थान से उतरना होगा, जहाँ उसे पूजनीय कहकर बिठा दिया गया। उसे इन उतरती सीढ़ियों की दुर्गम यात्रा स्वयं करनी होगी। हमारे देश में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी नहीं है परन्तु दिशा सकारात्मक दिखाई दे रही है।